केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक: 03.06.2017

सीबीआई ने कथित घूसखोरी में सेना के लेफ्टिनेन्ट कर्नल एवं एक प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने दो लाख रू. की कथित घूसखोरी में सेना मुख्यालय, नई दिल्ली में कार्यरत लेफ्टिनेन्ट कर्नल एवं एक प्राइवेट व्यक्ति (प्राइवेट फर्म का मालिक) को गिरफ्तार किया।

बड़े पैमाने पर अवैध रिश्वत के भुगतान के बदले में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कुछ अधिकारियों को उनकी मनचाही जगहों पर स्थानान्तरण/ तैनाती को सुनिश्चित करने हेतु साजिश रचने के आरोप पर लेफ्टिनेन्ट कर्नल, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली ; सेना के ही एक अन्य अधिकारी ; दिल्ली स्थित प्राइवेट फर्म के मालिक ; बी.एस.ओ., भारतीय सेना, बेंगलुरू एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 8, 12, 13(2) के साथ पठित धारा 13(1) (डी) के तहत मामला दर्ज किया। ऐसा भी आरोप है कि सेना के ही एक अन्य अधिकारी ने उन अधिकारियों से सम्पर्क किया जो कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत थे या स्थानान्तरण के नजदीक थे या विभिन्न स्थानों पर तैनाती के इच्छुक थे तथा इसके पश्चात, उसने उक्त प्राइवेट व्यक्ति से सम्पर्क किया जिसने सेना मुख्यालय में कार्यरत कुछ अधिकारियों के साथ अपनी निकट पहचान का उपयोग कर अवैध रिश्वत के बदले में इन अधिकारियों के स्थानान्तरण के लिए शिफारिस की। परिणामस्वरूप, उक्त अन्य सेना के अधिकारी ने भारतीय सेना, बेंगलुरू के एक बी.एस.ओ. की तैनाती के मामले को आगे बढ़ाने के लिए प्राइवेट व्यक्ति से अनुरोध किया और इसके अतिरिक्त प्राइवेट व्यक्ति ने मनचाही तैनाती के लिए लेफ्टिनेन्ट कर्नल को लगाया। ऐसा आगे आरोप था कि बी.एस.ओ. ने एक अन्य सेना के अधिकारी की सहायता से हवाला के माध्यम से उक्त प्राइवेट व्यक्ति तक पाँच लाख रू. की धनराशि को पहुँचाया तथा प्राइवेट व्यक्ति लेफ्टिनेन्ट कर्नल के आवास पर गया और दो लाख रू. अवैध रिश्वत के तौर पर दिये । सीबीआई ने प्राइवेट व्यक्ति को रोका एवं लेफ्टिनेन्ट कर्नल के निवास से दो लाख रू. की कथित रिश्वत की धनराशि को बदामद किया। दोनों ही आरोपियों को पकड़ा गया।

नई दिल्ली, हैदराबाद, बेगलुरू एवं तिरूवननतपुरम् स्थित आरोपी एवं अन्यों के आवास सहित परिसरों में तलाशी की गई जिसमें 10 लाख रू. (लगभग) का नकद एवं आपत्तिजनक दस्तावेजव अन्य सामान बरामद हुआ।

दोनो गिरफ्तार आरोपियों को दिल्ली की नामित अदालत के समक्ष पेश किया गया एवं चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया।

****